संख्या-520/2020/724/22-2-2020-17(432)/2018

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई, निवासी जनपद-कानपुर देहात की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई, भितरगॉव, मजरा कुर्सी, थाना-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। बंदी ने दिनांक 24.03.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामलाल की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-556/2003 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 03 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 28.09.2017 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा कम उम्र के बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण कर जघन्य पूर्वक हत्या किये जाने, बंदी की रिहाई होने पर उसके द्वारा विरोधीगणों से पुन: झगड़ा करने की आशंका प्रतीत होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के द्वारा भविष्य मे अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.03.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामलाल का अपहरण कर फिरौती की मांग की गयी, फिरौती न मिलने पर रामलाल की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत प्रकरण क्रिमिनल अपील संख्या-1282/2012 दीपू उर्फ असित वाजपेई बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई (बन्दी संख्या-26864) पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई, निवासी जनपद-कानपुर देहात के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-520/2020/**724**(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-520/2020/724/22-2-2020-17(432)/2018

दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई, भितरगॉव, मजरा कुर्सी, थाना-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। बंदी ने दिनांक 24.03.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामलाल की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-556/2003 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 03 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 28.09.2017 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा कम उम्र के बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण कर जघन्य पूर्वक हत्या किये जाने, बंदी की रिहाई होने पर उसके द्वारा विरोधीगणों से पुन: झगड़ा करने की आशंका प्रतीत होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के द्वारा भविष्य मे अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.03.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रामलाल का अपहरण कर फिरौती की मांग की गयी, फिरौती न मिलने पर रामलाल की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in